भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

भूमि उच्छेद वाद सं0–02/2016–17

अंचल अधिकारी, गोड्डा

बनाम्

राघवेन्द्र सिंह

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्व में पक्ष रखा गया है।

अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक– 934/रा0, दिनांक–29/06/2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि मौजा– गंगटा खुर्द, थाना नं0– 515, ज0 नं0–51, दाग नं0–1086/1386, रकवा–00–02–00 धुर जमीन जो खतियान में देवान हाँसदा वगैरह वर्त्तमान ज0रैयत जयनारायण हाँसदा वगैरह, पे0–रामकाश हाँसदा साकिन– गंगटा खुर्द, जिला–गोड्डा के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी, गोड्डा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री राघवेन्द्र सिंह द्वारा दाग नं0–1086 रकवा–00–02–00 धुर आदिवासी भूमि को अवैध रूप से कब्जा कर घर बना लिया गया है।

अवैध दखलकार को नोटिश किया गया। श्री राघवेन्द्र सिंह, पे0–खजानची सिंह, ग्राम– गंगटा खुर्द, जिला–गोड्डा द्वारा वकालतन हाजरी दिया गया है।

राघवेन्द्र सिंह द्वारा पक्ष रखा गया है। राघवेन्द्र सिंह का कहना है कि 00–02–00 (दो कट्ठा) जमीन सहदेव सिंह, ग्राम–शिव नगर, थाना–पोड़ैयाहाट को कुर्फानामा से 1934 में दिया गया। सहदेव सिंह द्वारा उक्त भूमि में मकान बनाया गया। सहदेव सिंह की मृत्यु के उपरान्त यह भूमि उनके पुत्र मृत्युन्जय सिंह के कब्जे में आया मृत्युन्जय सिंह द्वारा उक्त जमीन एवं मकान श्रीमति सोनी देवी, पति– राघवेन्द्र को शादी के समय दिया। सोनी सिंह द्वारा कच्चे मकान को तोड़कर पक्का मकान बनाया गया एवं वे सपरिवार शांतिपूर्वक रहते है। नगर पंचायत को टैक्स देते है एवं बिजली विभाग को बिल देते है। उनके द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

भूमि का हस्तान्तरण संथाल परगना कास्कारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 20 के अनुरूप नहीं है।

संथाल परगना कास्कारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 42 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि अवैध रूप से अन्तरित एवं दखल कब्जा किये गये भूमि के उच्छेद का आदेश दिया जाता है। अंचलाधिकारी, गोड्डा अवैध रूप से दखल किए गए भूमि का उच्छेद कर जमाबंदी रैयत को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।